

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजीपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 08 अगस्त, 2022

विषय:- राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से होने वाले प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-971/13/आपदा/2022, दिनांक 19.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय की गयी धनराशि रु० 28.30 लाख का व्ययानुमति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रु० 28.30 लाख की धनराशि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-490/एक-10-2022-33(36)/2018 टी०सी०-3, दिनांक 04.04.2022 एवं शासनादेश संख्या-775/एक-10-2022-33(36)/2018 टी०सी०-3, दिनांक 02.05.2022 द्वारा आवंटित रु० 60.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। उक्त धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय की गयी धनराशि रु० 28.30 लाख की कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है, तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के अवशेष देयताओं के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 22-23 में रु० 28.30 लाख की धनराशि इस आशय से आवंटित की जा रही है कि उक्त व्यय का समायोजन शासनादेश दिनांक 04.04.2022 द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन करना सुनिश्चित करें।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 28,30,000/- (रुपये अट्ठाईस लाख तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा मद से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/वी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या:5/2022/वी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29 मार्च 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

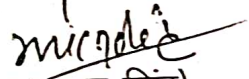
(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या-979 (1)/एक-10-2022-33(36)/2018 टीसी-3, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

८

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-10/08/2022

प्रेषण संख्या:- 979

आवंटन आदेश संख्या:- 001-979

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

06 -

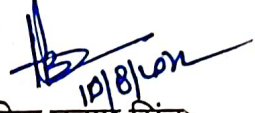
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2830000 23830000	2830000 23830000
	योग	वर्तमान प्रगामी	2830000 23830000	2830000 23830000

महायोग- (वर्तमान रूपया अठाईस लाख तीस हजार
आवंटन):-

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ अड़तीस लाख तीस हजार


(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।